संख्या-11/2016/आर-5023/26-3-2015-10(6)/2014टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः18 जनवरी, 2016

विषयः-राजकीय आश्रम पद्धति इन्टर कालेज, छाउछ लखीमपुरखीरी में कक्षा-9 से 12 तक कक्षाओं हेतु अनावासीय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के पत्रांक-254/ज.जा.वि.2015-16, दिनांक-16-11-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना अनुसूचित जनजातियो के लिये आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति इन्टर कालेज, छाउछ लखीमपुरखीरी में कक्षा-9 से 12 तक की कक्षाओं हेतु अनावासीय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष श्री राज्यपाल महोदय रूपया-274.46 लाख (रूपया दो करोड़ चौहत्तर लाख छियालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रूपया-137.00 लाख (रूपया एक करोड़ सैतिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1)-स्वीकृत की जा रही धनराशि को निदेशक, जनजाति विकास द्वारा तत्काल आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कान्सट्रक्शन इन्फ्रासट्रक्चर डेवलपमेंट कारर्पोरेशन, लि0 को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। धनराशि प्राप्त होने के बाद भी यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब से यदि लागत में बृद्धि होती है तो उसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)-कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप हों।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी.एल.ए./बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(6)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि की मांग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102--अनुसूचित जनजातियों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण (के.50 प्रतिशत राज्यांश 50 प्रतिशत)-24--वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015।/बी-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-11/2016/आर-5023/26-3-2015 -तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
3- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्सट्रक्शन इन्फ्रासट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन, लि0 लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in